न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2 नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी –: केदारनाथ
जिला न्यायाधीश संवर्ग,
विविध दाण्डिक जमानत सीआईएस सं0 –: 420/2022

1– लीलूराम पुत्र सुखदेव निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। –प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए अपर लोक अभियोजक, नोहर।
––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–126/2022 पुलिस थाना खुईयां
अन्तर्गत धारा 19/54 राज0 आब0 अधिनियम

उपस्थित :–

01. श्री राकेश सिलोदिया, अधिवक्ता –प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

02. श्री विजेन्द्र कुमार, अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

आदेश :–

दिनांक :–03.09.2022

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर के द्वारा दिनांक 31.08.2022 को जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं0–1 नोहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से यह प्रकरण अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जहां से यह प्रकरण अन्तरित होकर प्राप्त होने पर केस डायरी तलब कर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

02. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। उक्त बरामदगी से अभियुक्त का कोई सरोकार नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में इस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं रहा है तथा ना ही इस प्रकार के प्रकरण में कोई दोषसिद्धी हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान हो। अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।

03. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिए गए उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त के कब्जा से अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में काफी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे है। इस प्रकार के अपराधों में काफी बढ़ौतरी हो रही है। अभियुक्त पर गम्भीर प्रकृति का आरोप है। अतः जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

04. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

05. इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.08.2022 को सुखबीरसिंह हैड कांस्टेबल मय जाब्ता के गश्त हेतु रवाना हुआ। गश्त के दौरान सूचना के आधार पर खुईयां, नोहर रोड़ पर पहुॅचा तो एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसको रोकना चाहा तो वह कट्टा को फेंककर भाग गया, जिसे अशोक कुमार कांस्टेबल ने लीलूराम के रूप में पहचान किया। कट्टा की तलाशी ली तो उसमें 48 पव्वे देशी शराब के मिले, जिनको कब्जा में लेकर नियमानुसार शराब व नमुना को सील मोहर किया गया। फर्द के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–126/2022 पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड इस प्रकार हैः–

1. मु0नं0 01/95 धारा 323, 341, 326 भा0दं0सं0 –राजीनामा बरी।
2. मु0नं0 120/98 धारा 458, 323, 147 148 भा0दं0सं0
3. मु0नं0 100/99 धारा 323, 341, 34 भा0दं0सं0
4. मु0नं0 391/91 धारा 376, 511, 363 भा0दं0सं0
5. मु0नं0 47/02 धारा 447, 504, 148, 149 भा0दं0सं0
6. मु0नं0 354/02 धारा 323, 341,359, 34 भा0दं0सं0
7. मु0नं0 225/03 धारा 323, 341, 382, 34 भा0दं0सं0
8. मु0नं0 146/07 धारा 323, 452, 307, 34 भा0दं0सं0 सजा
9. मु0नं0 639/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सजा
10. मु0नं0 544/12 धारा 323, 341, 34 भा0दं0सं0 राजीनामा
11. मु0नं0 385/18 धारा 323, 324, 325, 341, 427, 307, 359, 34 भा0दं0सं0 राजीनामा

06. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के कब्जाशुदा प्लास्टिक थैला से 48 पव्वे देशी शराब बरामद होने का आरोप है। अभियुक्त दिनांक 31.08.22 से गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय

है। अभियुक्त से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में इस प्रकृति का कोई अपराध किया जाना अथवा इस प्रकार के अपराध में दोषसिद्धी होने बाबत कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

07. अतः प्रार्थी/अभियुक्त लीलूराम पुत्र सुखदेव निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत ाारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 20,000/– रूपये की सुदृढ़ जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका सम्बनिधत न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे। साथ ही आदेश दिया जाता है कि जमानती अपनी पहचान बाबत पहचान पत्र एवं अपनी दो फोटो पेश करेगे।

(केदारनाथ)

08. आदेश आज दिनांक 03.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केदारनाथ)